

2019/00462

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 109/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाईनेन्स लि. साधना हाउस द्वितीय फ्लोर 570, पी. बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई
शाखा कार्यालय 46, 47 श्रीनाथ टावर, प्रथम तल, वैशाली नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती रश्मी सोनी पुत्री श्री कमल कुमार सोनी
 2. श्री कमल कुमार सोनी पुत्र श्री इन्द्र चन्द सोनी
 3. श्रीमती सुमन सोनी पत्नी श्री कमल कुमार सोनी
- पता निवासी सी-96, फ्लैट संख्या एल जी 1, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, मंगलम सिटी, सी ब्लॉक,
हाथोज, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर एवं
एवं फ्लैट संख्या जी-2, ग्राण्ड फ्लोर, प्लॉट संख्या-सी-96 मंगलम सिटी, सी-ब्लॉक,
हाथोज, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री लोकेश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।



निर्णय

दिनांक 4-11-2019

प्रकरण में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को
27.10.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती रश्मी सोनी पुत्री श्री
कमल कुमार सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-96, स्थित फ्लैट संख्या
एलजी-1, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, मंगलम सिटी, सी ब्लॉक, हाथोज, कालवाड रोड, झोटवाडा,
जयपुर क्षेत्रफल 700 वर्गफिट को बन्धक रख कर 10,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध
कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल
रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.06.2016 को
जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज
भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of
financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु
आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर दर्जरजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थीगण ऋणी को सूचना
पत्र जारी किया गया । अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य
अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.06.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र क्रमशः इण्डियन एक्सप्रेस व पंजाब केशरी में 18.12.2018 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक अप्रार्थी श्रीमती रश्मि सोनी पुत्री श्री कमल कुमार सोनी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-96, स्थित फ्लैट संख्या एलजी-1, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, मंगलम सिटी, सी ब्लॉक, हाथोज, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 700 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो ।
6. आदेश आज दिनांक 4.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।



(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर